# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

| प्रार्थना पत्र संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 15 / 109 / 17 | 21–11–2017 | 11–12–2017 |

1. केनरा बैंक एफ 19, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 — प्रार्थी

बनाम

2. मैसर्स तरूण अलॉयज लिमिटेड व अन्य — अप्रार्थीगण / ऋणी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

## ––:: निर्णय ::––

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर (1) भूमि व भवन ए–905 फेज तृतीय, रीको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, भिवाडी जिला अलवर क्षेत्रफल 10 हजार वर्गमीटर जो मैसर्स तरूण आलॉयल लि0 के नाम है, (2) सम्पति नंबर एक्स–205 आशियाना, गुलमोहर, भिवाडी जिला अलवर जो रामकुमार गर्ग के नाम है, (3) सम्पूर्ण स्थाई अस्ति जैसे प्लान्ट, मशीनरी, मॉडयुलस और अन्य स्थाई अस्ति जो कि ए–905 फेज तृतीय, रीको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, भिवाडी जिला अलवर पर स्थापित है या किसी अन्य सम्पति जो उधारकर्ता की कम्पनी में संबंधित हो, (4) कच्चे माल का भण्डार, सेमी फिनिस्ड और फिनिस्ड गुड एण्ड बुक डेबटस जो ए–905 फेज तृतीय रीको इण्डस्ट्रीयह ऐरिया, भिवाडी जिला अलवर पर स्थापित है या किसी अन्य सम्पति जो उधारकर्ता की कम्पनी में संबंधित हो, को रहन रखा गया था। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिए जाते हैं :–

1–रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2–आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया / प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।



जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner